भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में उत्तर भारत

पंजाब-प्रयागराज के हालात भयावह, लोग बेघर, घाट डूबे, प्रशासन अलर्ट मोड पर

चंडीगढ़/मुंबई/प्रयागराज, 28 अगस्त. उत्तर भारत इन दिनों मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई भीषण बाढ़ की चपेट में है. पंजाब, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मुंबई से लेकर राजस्थान तक जल प्रलय जैसी स्थिति बनी हुई है.

अमृतसर में लगभग 40 गांव जलमग्न हैं. रावी, ब्यास, सतलुज, गंगा और यमुना नदियों के उफान पर आने से सैकड़ों गांव डूब चुके हैं, हजारों लोग प्रभावित हैं. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लगातार बारिश और बढ़ते जल स्तर के बाद सेना ने नागरिक प्रशासन की आवश्यकता के आधार पर व्यापक सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया है. सेना प्रवक्ता ने गुरुवार को यहां जारी बयान में बताया कि ये अभियान सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए तेज़ी से चलाये गये, जिसका उद्देश्य नागरिकों को राहत और बचाव प्रदान करना था.

28 सैन्य टुकड़ियां सक्रिय : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का उफान लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते 24 घंटे में गंगा नदी फाफामऊ में 97 सेंटीमीटर और छतनाग में 44 सेंटीमीटर तक बढ़ चुकी है. वहीं, नैनी में यमुना का जलस्तर 27 सेंटीमीटर बढ़ा है. सुबह 8 बजे फाफामऊ में जलस्तर 84.39 मीटर, छतनाग में 83.56 मीटर और नैनी में 84.09 मीटर दर्ज किया गया. इस तेज़ी से बढ़ते जलस्तर के कारण संगम के सभी प्रमुख घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है. लोगों को अपने घरों को खाली करने पर मजबूर होना पड़ रहा है. स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने और की टीमें तैनात कर दी हैं,

मुंबई में येलो अलर्ट लगातार जारी

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कुछ हिस्सों में गुरुवार को छिटपुट बारिश हुई तथा मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने क्षेत्र के लिए यलो अलर्ट लगातार जारी रखा है. मुंबई में हालांकि आज बहुत तेज़ बारिश होने का अनुमान नहीं है, लेकिन रुक-रुक कर बारिश जारी रहने के आसार हैं. दिन का तापमान 26 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. मौसम विभाग ने अगस्त और सितंबर में मुंबई में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है

बॉम्बे उच्च न्यायालय में 14 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

नई दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 14 अधिवक्तताओं को बॉम्बे उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है. विधि व न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई. अतिरिक्त न्यायाधीशों में सिद्धेश्वर सुंदरराव थोम्ब्रे, मेहरोज अशरफ खान पठान, रणजीतसिंह राजा भोंसले, नंदेश शंकरराव देशपांडे, अमित जामसंदेकर, आशीष सहदेव चव्हाण, संदेश दादासाहेब पाटिल, वैशाली निम्बाजीराव पाटिल जाधव, आबासाहेब धर्मजी शिंदे, श्रीराम विनायक शिरसाट, हितेन शामराव वेनेगावकर, फरहान परवेज़ दुबाश , रजनीश रत्नाकर व्यास और राज दामोदर वाकोडे शामिल हैं.

टैरिफ की चुनौती को अवसर में बदलेंगे : सीएम फडणवीस

अमेरिकी शुल्क के बीच महाराष्ट्र सरकार का ऐलान

मुंबई 27 अगस्त. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाए 50 प्रतिशत आयात शुल्क की चुनौती को वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर में बदलने का संकल्प व्यक्त किया.

फडणवीस ने प्रदेश की जनता को गणेशोत्सव की शुभकामनाओं के साथ कहा कि राज्य सरकार भारतीय उत्पादों के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. सीएम ने कहा आर्थिक चुनौती से निपटने के

लिए राज्य सरकार ने एक वॉर रूम स्थापित किया है.

योजनाओं में उत्पादन लागत कम करना, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाना और दुनिया भर के नए बाजारों पर अपना प्रभुत्व शामिल करना है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 100 सुधार करने का संकल्प लिया है .

हालांकि आयात शुल्क के कारण एक रास्ता अवरुद्ध हुआ है, लेकिन कई अन्य रास्ते खुलेंगे.

यूपी में उद्यमी समर्थक व्यापार मॉडल आएगा

सीएम योगी बोले- सुधारों की ओर बढ़ रही सरकार

लखनऊ, 28 अगस्त. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ई ऑफ डूइंग बिजनेस को और सशक्त बनाने के लिए नए कदम उठाना समय की मांग है और औद्योगिक विकास के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी सुनिश्चित करना भी जरुरी है.

योगी ने गुरुवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'श्रमेव जयते' के भाव को आत्मसात करते हुए हमें ऐसे सुधार करने होंगे, जो उद्यमियों और श्रमिकों; दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हों. मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार शीघ्र ही 'सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025' लाने जा रही है. इसके अंतर्गत आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, राजस्व संहिता, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, इसके अलापवा सिनेमा अधिनियम व जिला पंचायत अधिनियम सहित कई कानूनों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा.

> मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त कर, उनकी जगह पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था लागू करना समय की मांग है. बैठक में बताया गया कि इस विधेयक पर संबंधित 14 विभागों से राय ली गई है. अधिकांश विभाग सहमत हैं, जबकि कुछ ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए विधेयक को ऐसा स्वरूप दिया जाए, जो उद्योग और श्रमिकों के हितों में संतुलित हो. प्रस्तावों में फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने जैसे कदम शामिल हैं.

रूस ने यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक उद्यमों और हवाई अड्डों पर हमला

मॉस्को, 28 अगस्त. रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक उद्यमों और हवाई अड्डों पर जोरदार हमले को अंजाम दिया है. रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की है. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, इस हमले में लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने वाले हवाई हथियार, किंजल हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक मिसाइलें और लड़ाकू ड्रोन शामिल थे. मंत्रालय ने कहा, हमलावर अभियान सफल रहा और अपने लक्ष्यों को हासिल किया. राष्ट्रपति वोल्दीमिर जेलेंस्की ने भी इससे पहले अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि रूस ने हमारे शहरों और समुदायों के खिलाफ एक और बड़ा हमला किया है.

कपास पर आयात शुल्क की छूट 31 दिसं. तक बढ़ाई

नई दिल्ली 28 अगस्त. केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट इस वर्ष 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है. वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्यातकों को और अधिक समर्थन देने के लिए, केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट को 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.

आज का इतिहास

1612 - सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया।
1833 - ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम ने कानून का रूप लिया।
1842 - ग्रेट ब्रिटेन और चीन ने नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर किये। अफ़ीम युद्ध समाप्त।
1914 - न्यूजीलैंड सैनिकों ने जर्मन समोआ पर कब्जा किया।
1916 - अमेरिकी कांग्रेस ने जोन्स अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की- फिलीपींस को मिली स्वतंत्रता।
1932 - नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध-विरोधी समिति

श्रीलंका में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें होगी शुरू

कोलंबो, 28 अगस्त. श्रीलंका के संसदीय कार्य मंत्री ने गुरुवार को कहा कि देश में संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी. इंडोनेशिया में संगठित अपराधों से जुड़े कई श्रीलंकाई नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री आनंद विजेपाला ने कहा कि ऐसी अदालतें स्थापित करने से मुकदमों में तेजी लाने में एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने आपराधिक नेटवर्कों से जुड़े लोगों को बड़ी संख्या में पहले ही गिरफ्तार कर लिया है.

न्यायालय अपर तहसीलदार टप्पा बेटमा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

जावक क्रमांक : 538/रीडर/25 बेटमा, दिनांक : 28.08.2025
(प्रकरण क्रमांक : 0007/अ-20(3)/2025-26)

विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा **ग्राम सलमपुर** स्थित भूमि सर्वे नंबर 144, 146, 147, 157/3, 165, 166/375, 167/1, 167/2, 168, 171, 180/1, 194, 203, 205, 206, 207, 208, 219/1, 220, 223, 229, 235/2, 236, 239, 268, 273, 291/2/1, 291/10, 292, 307, 326, 328, 329/1/1/1, 329/1/2/1, 329/7, 329/10, 336/1, 346, 363/1/1/2, 363/2, 369/1/2/2, 369/1/3 कुल रकबा 40.3130 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण ''औद्योगिक प्रयोजनार्थ'' हेतु करने के लिए एक आवेदन ''मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020'' के तहत् **श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर के समक्ष** प्रस्तुत किया है, जो अग्रिम जांच हेतु इस न्यायालय को अंतरित किया गया है।

उक्त भूमि आवंटन के संबंध में किसी संस्था/ट्रस्ट/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वह नियत **दिनांक 12.09.2025 तक** अपनी लिखित आपत्ति/स्वयं/अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालयीन पद मुद्रा से विज्ञप्ति जारी की गयी।

पद मुद्रा

अपर तहसीलदार
टप्पा बेटमा तह. देपालपुर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

म.प्र. माध्यम/121766/2025

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

SMFG IndiaCredit — Pragati Ki Nayi Pehchaan

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051।

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया है। अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग सूचना(ओं) की तामील से बच रहा है/रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत हैः

उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1. मां सब्जी भंडार 2. जितेंद्र राठौड़ (मृतक) के अज्ञात कानूनी उत्तराधिकारी 3. पूजा राठौड़ LAN-258301311829248	20 अगस्त, 2025. रु. 67,02,834 /- (रुपये सड़सठ लाख दो हजार आठ सौ चौंतीस मात्र) 20 अगस्त, 2025 तक

अचल संपत्ति/संपत्तियों का विवरण, बंधक, संपत्ति के स्वामी - श्री जितेंद्र पुत्र श्री जगदीशचंद्र राठौर। संपत्ति विवरण 1 और 2ः प्लॉट वर्तमान मु.पा. मकान क्रमांक 7, पश्चिमी भाग, क्षेत्रफल 53-41 वर्ग मीटर और प्लॉट वर्तमान मु.पा. मकान क्रमांक 7/2, पश्चिमी भाग, क्षेत्रफल 58-68 वर्ग मीटर। दोनों प्लॉटों का कुल क्षेत्रफल 112.09 वर्ग मीटर है, जो रामचंद्र बाबा शेणवी मार्ग, कहारवाड़ी, उज्जैन में स्थित है, जो फ्रीहोल्ड है और मुख्य सड़क के अंदर आवासीय क्षेत्र में स्थित है और आवासीय उपयोग के लिए है। बेचे गए प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 112.09 वर्ग मीटर है जो कि खुला है प्लॉट नंबर 7 के पश्चिमी भाग का माप लंबाई - उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर 11.87 मीटर पश्चिम की ओर 11.80 मीटर चौड़ाई - पूर्व से पश्चिम उत्तर की ओर 4 मीटर और दक्षिण की ओर 5.05 मीटर कुल क्षेत्रफल 53.41 वर्ग मीटर है प्लॉट नंबर 7/2 के पश्चिमी भाग का माप लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व 11-72 मीटर, पश्चिम की ओर 11.57 मीटर चौड़ाई- पूर्व से पश्चिम उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर 5-79 मीटर संलग्न मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्रफल 58.68 वर्ग मीटर है। प्लॉट नंबर 7 और 7/2 के पश्चिमी भाग की संयुक्त सीमा - पूर्व - भवन नंबर 7 और 7/2 का भाग - पश्चिम-पितारे साहब का घर - उत्तर चिंतामन बिवारे का भवन - दक्षिण रोड कहार वाड़ी

उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1. अरेन परिधान 2. संगीता जैन 3. अमित जैन LAN -173701310340372 173701310985975	20 अगस्त, 2025. रु. 7225914.45/- (बहत्तर लाख पच्चीस हजार नौ सौ चौदह रुपये और पैंतालीस पैसे मात्र) 20 अगस्त, 2025 तक

अचल संपत्ति/संपत्तियों का विवरण, गिरवी रखी गई, संपत्ति के स्वामी - श्री अमित पुत्र संतोष कुमार जी जैन। संपत्ति विवरण फ्लैट (दुकान) क्रमांक ट-01, बैरागी कॉम्प्लेक्स नामक बहुमंजिला इमारत का मेजेनाइन तल, जो वार्ड क्रमांक 9, नगर निगम भवन क्रमांक 8, भगवान महावीर मार्ग (पिपली बाजार), इंदौर (म.प्र.) में स्थित है। निर्मित क्षेत्रफल 1015 वर्ग फीट, कुल क्षेत्रफल 94.33 वर्ग मीटर; अविभाजित हित के क्षेत्र में सामान्य क्षेत्र और सुविधाएं शामिल हैं, लेकिन छत का स्वामित्व शामिल नहीं है। प्रवेश एक सामान्य मार्ग से होता है जो इमारत के सामने वाली सड़क की ओर जाता है। सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः गली फिर इमामबाड़ा; पश्चिमः फ्लैट क्रमांक ऋ01 और मार्ग; उत्तरः शंकर लाल मावा वाला का मकान, दक्षिणः यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक बिल्डिंग।

उधारकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस(ओं) का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और खर्चों के साथ भुगतान की वसूली की तारीख तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता(ओं) द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने में विफल रहता है, तो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके हस्तांतरण करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्ति(ओं) की बिक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) और अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित परिसंपत्ति(ओं) का निपटान करने या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति(ओं) को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है, बिना एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा उधारकर्ता, यदि चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 29.08.2025

एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

यूको बैंक UCO BANK
(A Government of India Undertaking)

राउ शाखा: 6, माँ कृपा भवन, ए.बी. रोड, राउ

बैंक को गिरवी रखें स्वर्ण की नीलामी बिक्री

बैंक द्वारा निम्न उधारकर्ताओं को हमारी शाख द्वारा गोल्ड लोन योजना के अन्तर्गत दी गई अग्रीम राशि की भरपाई शेष है, जिसके संदर्भ में **यूको बैंक के अधिकारी (शाखा प्रबंधक) राउ शाखा, इन्दौर** में उधारकर्ता को बैंक की शेष बची निम्नलिखित राशि + भुगतान के लिए नोटिस जारी की गई थी। परन्तु उनके द्वारा बकाया शेष राशि चुकाने में चूक होने पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने अधिकारों/शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक में गिरवी रखें स्वर्ण की नीलामी/बिक्री द्वारा शेष बकाया राशि की वसूली की जावेगी। इस संबंध में स्वर्ण की बिक्री सार्वजनिक नीलामी से **दिनांक 15.09.2025 समय दोपहर 12.00 बजे (शाखा) राउ शाखा, इन्दौर** पर निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण के अनुसार की जाएगी।

उधारकर्ता का नाम एवं पता	स्वर्ण का विवरण	शुद्ध वजन (ग्राम में)	कुल वजन (ग्राम में)	आरक्षित मूल्य (रु.)	बयाना जमा (रु.)	नीलामी बिक्री की तिथी
श्री नीरज कुमार, 62-बी, न्यू यॉर्क सिटी, इन्दौर एवं 660, जानी करनाल, हरयाणा	चुड़ी-2	30.00	29.50	2,64,900	66,225	15.09.2025

नियम व शर्तें: (1) बैंक स्वर्ण संबंधी किसी वस्तु या अन्य आभूषण/सिक्कों के वजन या शुद्धता के प्रतिशत की गारंटी नहीं देता। **(2)** प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारी कोई भी कारण बताए बिना नीलामी बिक्री के किसी भी/सभी बीड/प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार या स्थगित/टालना/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते है। **(3)** नीलामी के माध्यम से आभूषण की खरीद के लिए दिए गए प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय बैंक का ही होगा एवं बैंक अधिकतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। (4) स्वर्ण/अन्य आभूषण/सिक्कों को बैंक में नीलामी के तारीख से निर्धारित (15) दिन के पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर कारोबार घंटे के दौरान इच्छुक बोलीदाताओं के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। (5) इच्छुक खरीदारों को आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत बयाना के रुप में जमा करवाना होगा। (6) सफल बोलीदाताओं को शेष राशि के भुगतान के बाद आभूषण 24 घंटे के भीतर या अगले कार्यदिवस पर कामकाज के समय के दौरान सौंप दिये जायेंगे। (7) अगर सफल बोलीदाता बकाया राशि का भुगतान एक दिन के अंदर करने में विफल रहता है तो बैंक बयाना के रुप में दी गई राशि को जब्त कर लेगी और जब्त करने की तारीख से अगले 30 दिनों के भीतर आभूषणों की फिर से नीलामी कर सकती है, एवं पहली नीलामी के दौरान वह सफल बोलीदाता जिन्होंने बयाना के रुप में भुगतान की राशि के सामने आभूषण नहीं लिए उन्हें बकाया के रुप में तय की गई राशि में शेष राशि का भुगतान करना होगा। (8) असफल बोलीदाता को नीलामी खत्म होने के तुरंत बाद बयाना के रुप में ली गई राशि वापस की जायेगी। (9) बैंक नीलामी के दौरान किसी भी समय कोई भी कारण बताए बिना नीलामी का अधिकार सुरक्षित रखती है, इस मामले में बयाना के रुप में ली गई राशि उस जमाकर्ता को लौटा दी जायेगी। (10) किसी भी प्रकार का विवाद इन्दौर क्षेत्राधिकार के अंदर सुने जायेंगे।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 29.08.2025
प्राधिकृत अधिकारी, शाखा राउ, इन्दौर

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
उज्जैन शाखा: 06/प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	लोन नं. 02000001853/ उज्जैन शाखा) परवेज खान (ऋणी) अरबीना खान (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, न्यू इंदिरा नगर कॉलोनी, म्यू. मकान 15 का पूर्वी भाग, नया नं. 23/3, इंदिरा नगर कॉलोनी, नागझीरी देवास रोड़, वार्ड नं. 54 उज्जैन, मध्य प्रदेश 456010, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - गुलाम दसतागिरी का मकान, पश्चिम - इसी प्लॉट का शेष भाग, उत्तर - गली, दक्षिण - कॉलोनी रोड़	07-12-2024 एवं ₹ 6,59,311/-	26-08-2025

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 29-08-2025

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

यूको बैंक UCO BANK
(A Government of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय, 380-381, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.)
फोन: 0731-2438331, 2438305
फैक्स: 2438304, email: zo.indore@ucobank.co.in

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना
ई-नीलामी दिनांक 30.09.2025

(सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत)
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत
सम्पत्ति के विक्रय की सार्वजनिक सूचना ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 29.09.2025 को सायंकाल 4 बजे तक या उसके पूर्व अचल सम्पत्ति की बिक्री जो बैंक के पास बंधक है
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002

जबकि **यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा धारा 13 (2) व सिक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया है। बैंक कि बकाया राशि ब्याज सहित हेतु निम्न सम्पत्तियों को **जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है, जो कुछ भी है, बिना संसाधन** के आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणी द्वारा बैंक का बकाया मय ब्याज के चूकाने मे असफल होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम 13 (4) के अन्तर्गत सम्पत्ति की ई-नीलामी वेबसाइट द्वारा की जानी है।

क्रं.	शाखा	ऋणियों के नाम	ऋणी के खाते में बकाया राशि (₹)	सूचना दिनांक एवं आधिपत्य दिनांक	स्वायत शासी संस्थाओं का बकाया	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य यथा / बयाना राशि	ईएमडी खाता क्रं., शाखा एवं आईएफएससी कोड क्रं.	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	खण्डवा शाखा	श्री अनिल पांडुरंग शिंदे, श्रीमती भारती किशोर शिंदे	17,39,000 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	31.05.23 / 24.08.23	पता नहीं	सपंत्ति के सभी प्रमुख अंग खसरा नं. 400/3, शीट नं. 11, पुराना प्लाट नं. 141/17, रामलाल नमस्ते मार्ग, कुण्डलेश्वर वार्ड नं. 24, खण्डवा, **क्षेत्रफल: 546 वर्गफीट, मालिक: श्री अनिल शिंदे पिता पांडुरंग शिंदे एवं श्रीमती भारती शिंदे पिता किशोर शिंदे,** वाईड रजिस्टर्ड ई-सेल डीड दिनांक 28.03.2016 डीड नं. MP219262016A1185523, सब रजिस्टर्ड खण्डवा (म.प्र.), **चर्तु:सीमा: उत्तर:** 10 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** सड़क, **पूर्व:** पांडुरंग मराठा का मकान, **पश्चिम:** सदीशचंद्र डोंगरे का मकान	रु. 22.95 लाख / रु. 2,29,500	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	30.09.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
2.	एग्रिकल्चर कॉलेज शाखा, इन्दौर	1. श्रीमती शशिकला सिंह 2. श्री नरेन्द्र सिंह	8,41,574.97 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	20.12.24 / 30.04.25	पता नहीं	संपत्ति के सभी भाग जिसमें फ्लेट नं. जी-2, प्लॉट नं. 3ए, शैल्पुत्रे एवेन्यु, राजेन्द्र नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452003, **क्षेत्रफल: 610 वर्गफीट, मालिक: श्रीमती शशिकला सिंह पति श्री नरेन्द्र सिंह,** सेल डीड बुक क्रं. 1ए, वोल्युम क्रं. 1993, पेजेस 46-53, सिरीयल क्रं. 3843, दिनांक 01.09.2014 को सब रजिस्ट्रार इन्दौर में रजिस्टर्ड, **चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्रकोष्ठ क्रं. जी-3, **दक्षिण:** प्लाट नं. 2-ए, **पूर्व:** कॉमस पेसेज, **पश्चिम:** बेक लेन	रु. 13.76 लाख / रु. 1,37,600	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	30.09.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
3.	संयोगितागंज शाखा, इन्दौर	मेसर्स सैश मेटल प्रो.: श्री मोहित यादव	35,44,714.80 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	01.02.25 / 17.05.25	पता नहीं	औद्योगिक संपत्ति का हिस्सा जिसका सर्वे क्रमांक 155है, जिसका भूमि **क्षेत्रफल 1858.05 वर्गमीटर** है और जो **सैश मेटल, प्रो. श्री मोहित यादव** के नाम पर है, जो गांव निमरानी, तहसील कसरावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश में स्थित है। **चर्तु:सीमा: उत्तर:** औद्योगिक क्षेत्र रोड, **दक्षिण:** विभाग की भूमि, **पूर्व:** मेसर्स खालसा रबर इंडस्ट्रीज, **पश्चिम:** विभाग पथ	रु. 62.96 लाख / रु. 6,29,600	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	30.09.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
4.	अलीराजपुर शाखा	मेसर्स स्वप्निल सप्लायर्स, प्रो.: श्री स्वप्निल वर्मा	12,77,772.71 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	28.01.25 / 19.04.25	पता नहीं	संपत्ति के सभी भाग जिसमें प्लाट नं. 182, साईसिटी, महात्मा गाँधी मार्ग, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) 457887 **श्रीमती हेमलता वर्मा पति महेश चंद्र वर्मा** के नाम से सेल डीड क्रं. 834 दिनांक 31.03.2010, **क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट (लगभग), चर्तु:सीमा: पूर्व:** आम रास्ता, **पश्चिम:** प्लाट नं. 151, **उत्तर:** प्लाट नं. 181, **दक्षिण:** आम रास्ता	रु. 55.69 लाख / रु. 5,56,900	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	30.09.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)

आनलाईन निविदा/नीलामी की नियम व शर्तें: (1) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें (बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी)। **(2)** इच्छुक बोलीदाता के पास एक स्वयं की वैध सक्रिय ई-मेल आईडी और पैन होना चाहिए। **(3)** अपसेट प्राइस/रिजर्व प्राइस की 10% (ईएमडी राशि) राशि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बनाये गये वर्चुअल वॉलेट में भेजी जाना चाहिये और बकाया राशि निविदा फार्म मे स्पष्ट रुप से दर्शाई जाना चाहिए। **(4)** अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण अधिकार है की वह बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताएं किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित/रद्द करने का बिक्री की किसी भी नियम व शर्तों को बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार है। **(5)** बिक्री सरफेसी संशोधित अधिनियम/नियम 2002 और शर्तों में निर्धारित शर्तो के अधीन है। **(6)** बैंक द्वारा निविदा प्रस्ताव स्वीकार्य करने के उपरांत 25% प्रतिशत राशि (प्राथमिक राशि ईमएडी सहित) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक बैंक के **खाता संख्या 22830210001462, यूको बैंक, आनंद बाज़ार शाखा, आईएफएससी कोड UCBA0002283** के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांन्सफर द्वारा जमा करनी होगी। **(7)** सफल बोलीकर्ता को अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने के 15 दिनो के भीतर बिड की बकाया राशि जमा कराना होगी यदि सफल बोलीकर्ता अपनी बकाया राशि उस अवधि के भीतर जमा करने में विफल होता है तो उस परिस्थिति में सम्पत्ति का पून: विक्रय किया जावेगा। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा कि गई राशि जब्त कर ली जावेगी। इसके अतिरिक्त उसे सम्पत्ति पर या उस सम्पत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा जिसे फिर से बेची गई है। **(8)** सम्पत्ति का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर **दिनांक 26.09.2025 को प्रात: 10.00 बजे से सांयकाल 4.00 बजे** के बीच किया जा सकता है। सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य जानकारी या विवरण के लिए **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 0731-2438331, 2438305** से संपर्क किया जा सकता है। **(9)** यदि बिक्री 30 (तीस) दीनों की अवधि के लिये स्थगित की जाती है तो बिक्री की कोई नई शर्तें नहीं होगी। **(10)** बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने के पूर्व सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट (अर्थात, **https://baanknet.com**) पर जाने की सलाह दी जाती है। नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सभी बोलीकर्ताओं को बिक्री के नियम व शर्तों को ठीक तरह से पढ़ने व समझने की सलाह दी जाती है। नीलामी सुरक्षित लेनदार बैंक की पुष्टि के अधिन है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्द में लिखित अखबार को मान्य किया जायेगा।

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 29.08.2025
प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक